सख्या-6/2024/I/467429/2024/23-11099(099)/5/2024

प्रेषक,

राज कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक 09/01/2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में धर्मार्थ मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत जनपद बरेली के 08 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2091नि0/108-01नि0/23-24, दिनांक 22-11-2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत अधोलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद बरेली के 08 कार्यो के सम्मुख कालम-4 में अंकित लागत, जिसका कुल योग रू0 2462.68 लाख (रूपये चौबीस करोड़ बासठ लाख अड़सठ हजार मात्र) है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2023-24 में लागत के सापेक्ष तालिका के कालम-5 में अंकित धनराशि, जिसका कुल योग रू0 1970.15 लाख (रूपया उन्नीस करोड़ सत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र) है, को व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

धनराशि लाख रू0 में

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	बरेली प्रा0ख0	जनपद बरेली में मणिनाथ मंदिर से मणिनाथ क्रासिंग से सिटी शमशान भूमि तक (अण्डरपास) सड़क निर्माण कार्य (लम्बाई 1.20 कि0मी0) (ओ0डी0आर0, शहरी मार्ग)	209.81	167.85
2	बरेली प्रा0ख0	जनपद बरेली में बदायूँ रोड 84 घण्टा मंदिर से मणिनाथ मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य (लम्बाई 0.950 कि0मी0) (ओ0डी0आर0, शहरी मार्ग)	170.76	136.61
3	बरेली प्रा0ख0	जनपद बरेली में किला क्रासिंग से अलखनाथ मंदिर से चौधरी तालाब तक सड़क निर्माण कार्य (लम्बाई 1.70 कि0मी0) (ओ0डी0आर0, शहरी मार्ग)	483.80	387.04
4	बरेली प्रा0ख0	जनपद बरेली में कुदेशिया क्रासिंग हार्टमैन ब्रिज तक सड़क निर्माण कार्य (लम्बाई 1.30 कि0मी0) (ओ0डी0आर0, शहरी मार्ग)	325.47	260.38

http://shasanadesh.up.gov.in/

5	बरेली प्रा0ख0	जनपद बरेली में हार्टमेन ब्रिज से रामलीला मैदान तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य (लम्बाई 0.800 कि0मी0) (ओ0डी0आर0, शहरी मार्ग)	364.34	291.47
6	बरेली प्रा0ख0	जनपद बरेली में कुदेशिया क्रासिंग वाया नैनीताल रोड से त्रिवटी नाथ मंदिर से धर्मकाटा चौराहा तक मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य (लम्बाई 1.100 कि0मी0) (ओ0डी0आर0, शहरी मार्ग)	377.70	302.16
7	बरेली प्रा0ख0	जनपद बरेली में धर्मकांटा चौराहे से डेलापीर चौराहे तक मार्ग का नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 2.10 कि0मी0) (ओ0डी0आर0, शहरी मार्ग)।	293.35	234.68
8	बरेली प्रा0ख0	जनपद बरेली में 100 फुटा रोड से पीलीभीत बाईपास तक मार्ग का नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 1.750 कि0मी0) (ओ0डी0आर0, शहरी मार्ग)।	237.45	189.96
योग:-			2462.68	1970.15

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2- प्रश्नगत कार्यो की स्वीकृति धमार्थ मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत प्रदान की जा रही है। प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग तथा मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत प्रस्ताव में सम्मिलित किए गये सभी कार्य एवं विशिष्टियॉ, उक्त योजनान्तर्गत कराये जाने हेतु निर्धारित मानक पूर्ण करते हैं। यदि निर्धारित मानकों का विचलन होता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उक्त अभियन्ताओं की होगी।

3- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त परियोजनाओं का भविष्य में पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

6- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

7- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-

http://shasanadesh.up.gov.in/

2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

8- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

9- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

10- विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

11- विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

12- जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

13- यह सुनिश्चित किया जाय कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अंतर्गत है।

14- प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु जो भूमि प्रयुक्त की जायेगी उसका पूर्णतः सरकारी/लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में होना सुनिश्चित किया जायेगा।

15- प्रस्तावित निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार से किसानों की निजी कृषि भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

16- यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित निर्माण ट्रैफिक सर्वे के अनुसार चौड़ीकरण हेतु पी0सी0यू0 मानकों का पूर्णतः पालन करते है।

17- प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो, इसके लिए कार्य प्रारम्भ किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित किए गये हैं।

18- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-03-2023 एवं संशोधन विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में निहित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली क्षेत्रीय अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।

21- सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023

http://shasanadesh.up.gov.in/

एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

22- उपरिलिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 19,70,15,000(रूपये उन्नीय करोड़ सत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371353 धर्मार्थ-मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-03-2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/